न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 21 / 2025	2025 / 144	16.06.2025	11.02.2026

1. चिंपू सैनी पुत्र स्व० श्री लक्ष्मीनारायण सैनी जाति माली निवासी प्रेमकुन्ज के पास, रूपबास, अलवर हाल निवासी गोल्डन ईगल स्कूल के पास, नया रूपबास रोड, मोती डूंगरी, अलवर।
2. पूजा देवी पुत्री स्व० श्री रामस्वरूप पत्नि राजेश जाति माली निवासी प्रेम कुन्ज के पास, रूपबास अलवर हाल निवासी प्रताप बास, अलवर – राज०।
3. रजनी पुत्री स्व० श्री रामस्वरूप पत्नि मनोहर जाति माली निवासी प्रेमकुन्ज के पास, रूपबास अलवर हाल निवासी लोहार वाला कुऑ, स्कीम न० 6, अलवर – राज०।

——अपीलार्थीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रैणी, जिला अलवर – राज०।

——असल रेस्पोडेंट

1. आरती पुत्री स्व० श्री लक्ष्मीनारायण पत्नि अंकित सैनी जाति माली निवासी प्रेमकुन्ज के पास रूपबास, अलवर हाल निवासी मकान न0 103, शिव मंदिर वाली गली, लालपुर, नोर्थ वेस्ट दिल्ली–110040
2. गीता देवी पत्नि स्व० श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी प्रेमकुन्ज के पास, रूपबास अलवर हाल निवासी रूपबास, मोती डूंगरी, अलवर।
3. दीपक पुत्र स्व० श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी प्रेमकुन्ज के पास, रूपबास अलवर हाल निवासी गोल्डन ईगल स्कूल के पास नया रूपबास रोड, मोती डूंगरी, अलवर।
4. राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप जाति माली निवासी प्रेमकुन्ज के पास, रूपबास अलवर हाल निवासी 21. रूपबास रोड, अलवर।
5. सरस्वती पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप पत्नि कैलाश चन्द सैनी जाति माली निवासी प्रेम कुन्ज के पास, रूपबास, अलवर निवासी हाल यादवों का मौहल्ला, रूपबास, अलवर।

——तरतीबी रेस्पोडेंटान।

अपील विरूद्ध तहसीलदार रैणी विरासत इंतकाल सं. 624 दिनांक 26.05.2023 वाके ग्राम दलालपुरा तहसील रैणी, अलवर।

उपस्थितः–

01.श्री कैलाश चन्द बैरवा	–वकील अपीलाण्ट
02.श्री दीपक मीना, राजकीय अभिभाषक	–पैरोकार सरकार
03.श्री के.के. गुलेरिया	–वकील तर.रेस्पो0

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार रैणी, जिला अलवर के आदेश दिनांक 26.05.2023 जिसके द्वारा विरासत नामान्तकरण संख्या 624 वाके ग्राम दलालपुरा स्वीकार व तस्दीक किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि खाता सं. 21 आराजी खसरा नम्बर 756 रकबा 1.60 है०, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.92 है०, खाता सं. 20 आराजी खसरा नम्बर 577 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 757 रकबा 0.11 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है० वाके ग्राम दलालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर–राजस्थान में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलार्थीगण की बुजुर्ग महिला कमलेश देवी पत्नि स्व० श्री रामस्वरूप कब्जे काश्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

खातेदारी की आराजी हैं। अपीलार्थीगण की बुजुर्ग महिला कमलेश देवी का स्वर्गवास दिनांक 18.11.2020 को हो चुका हैं व उसके पुत्र लक्ष्मीनारायण का भी स्वर्गवास हो चुका हैं। जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न हैं। मृतका कमलेश देवी का खानदान सजरा इस प्रकार हैं:– कमलेश देवी पत्नी रामस्वरूप (मृतक) जिसके दो पुत्र राजेन्द्र व लक्ष्मीनारायण एवं तीन पुत्रियां सरस्वती, पूजा, रजनी वारिस हुए। लक्ष्मीनाराण (मृतक) के वारिसों में चिंपू (पुत्र), आरती (पुत्री), दीपक (पुत्र), गीता देवी (पत्नी) है। अपीलार्थीगण की बुजुर्ग महिला कमलेश देवी के स्वर्गवास के बाद उसका विरासत अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. 1 ला० 5 के नाम इंतकाल सं. 624 खोला व दर्ज किया गया। अपीलार्थीगण, मृतका कमलेश देवी की जायज संतान व विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी हैं। उक्त विरासत इंतकाल सं. 624 में राजस्व कर्मचारी द्वारा सहबन व त्रुटिपूर्वक अपीलार्थी सं. 1 का नाम आकाश, अपीलार्थी सं. 2 का नाम मूर्ति व अपीलार्थी सं. 3 का नाम रूपा दर्ज व अंकित कर दिया गया। जिस विवादित आदेश दिनांक 26.05.2023 की जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व में नहीं थी। अपीलार्थीगण द्वारा अब राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन करने पर उक्त त्रुटि के बारे में जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने उक्त विवादित इंतकाल सं. 624 की नकल दिनांक 28.05.2025 को प्राप्त की। जिस पर अपीलार्थीगण ने कानूनी सलाहाकार से कानूनी राय प्राप्त कर अपील हेतु रूपयो, पैसो का इंतजाम कर व लिखा पढी कराई जाकर निम्न उजरात के साथ न्यायालय श्रीमान में पेश हैं:–

विवादित आदेश दिनांक 26.05.2023 का हैं। जिस विवादित आदेश दिनांक 26.05.2023 की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा अब राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन करने पर उक्त त्रुटि के बारे में जानकारी होने पर अपीलार्थी ने उक्त विवादित इंतकाल सं. 624 की नकल दिनांक 28.05.2025 को प्राप्त की। जिस पर अपीलार्थी ने कानूनी सलाहाकार/अधिवक्ता से कानूनी राय प्राप्त कर अपील हेतु रूपयो, पैसो का इंतजाम कर व लिखा पढी कराई जाकर यह अपील श्रीमान की सेवा में पेश हैं। लेकिन फिर भी जो समय दिनांक 26.05.2023 से आज दिन तक व्यतित हुआ है वह काबिले कंडोन हैं जिस हेतु पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश हैं। तहत न्यायालय तहसीलदार रैणी द्वारा विवादित इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सम्यक रूप से तलब नहीं किया गया। जिससे विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। तहत तहसीलदार रैणी द्वारा विवादित इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुना नहीं गया और ना ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का मौका दिया गया। तहसीलदार रैणी द्वारा विवादित इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व मृतका कमलेश देवी के वारिसान के नाम बाबत कोई जाँच नहीं की गयी। तहत न्यायालय का विवादित आदेश मनमाना व कयासीया तौर पर पारित किया गया है। जिससे विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं।

अपीलार्थी सं. 1 के सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्जावेजात जैसे आधार कार्ड सं. 8216 8750 3894, जन आधार कार्ड सं. 5082036347, कक्षा 10वीं की अंकतालिका वगैहरा में अपीलार्थी सं. 1 का नाम चिंपू सैनी दर्ज हैं। जिन दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न हैं। जिन दस्तावेजो से भी यह बखूबी साबित व प्रमाणित हैं कि मिन अपीलार्थी सं. 1 का नाम चिंपू सैनी हैं तदानुसार ही राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी सं. 1 का नाम आकाश के स्थान पर चिंपू सैनी दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्याय संगत हैं। जो तथ्य काबिले गौर श्रीमान हैं।

अपीलार्थी सं. 2 के सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्जावेजात जैसे आधार कार्ड सं. 8529 7864 4932, पहचान पत्र सं. यूएचपी/1479393, जन आधार कार्ड सं. 4822671020, भामाशाह कार्ड सं. VSBXVHR, राशन कार्ड सं. 00097 व अपीलार्थी सं. 2 के पुत्र आशीष सैनी की कक्षा 10वीं की अंक तालिका वगैहरा में अपीलार्थी सं. 2 का नाम पूजा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

देवी दर्ज हैं। जिन दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न हैं। जिन दस्तावेजो से भी यह बखूबी साबित व प्रमाणित हैं कि मिन अपीलार्थी सं. 2 का नाम पूजा देवी हैं तदानुसार ही राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी सं. 2 का नाम मूर्ति के स्थान पर पूजा देवी दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्याय संगत हैं। जो तथ्य काबिले गौर श्रीमान हैं।

अपीलार्थी सं. 3 के सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्जावेजात जैसे आधार कार्ड सं. 3660 8399 5384, जन आधार कार्ड सं. 4701314630, भामाशाह कार्ड सं. YIGOKGK, राशन कार्ड सं. 118101900309 वगैहरा में अपीलार्थी सं. 3 का नाम रजनी दर्ज हैं। जिन दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न हैं। जिन दस्तावेजो से भी यह बखूबी साबित व प्रमाणित हैं कि मिन अपीलार्थी सं. 3 का नाम रजनी हैं तदानुसार ही राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी सं. 3 का नाम रूपा के स्थान पर रजनी दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्याय संगत हैं। जो तथ्य काबिले गौर श्रीमान हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर तहत तहसीलदार साहब रैणी जिला अलवर का विवादित आदेश 26.05. 2023 में विवादित इंतकाल सं. 624 में अपीलार्थी सं. 1 का नाम आकाश के स्थान पर चिंपू सैनी के नाम, अपीलार्थी सं. 2 का नाम मूर्ति के स्थान पर पूजा देवी के नाम व अपीलार्थी सं. 3 का नाम रूपा के स्थान पर रजनी के नाम मंजूर व दुरूस्त कर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित कर संशोधित इंतकाल जारी करने के आदेश देने की कृपा करें। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो. को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सख्ंया 01 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तरतीबी रेस्पोंडेंट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित।

न्यायालय द्वारा प्रकरण हाजा में तहसीलदार रैणी से सही नाम व पते के संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रैणी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अुनसार 'पटवारी हल्का भूगोर, पटवारी हल्का खुदनपुरी व अलवर न०–2" से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का विवरण निम्न प्रकार हैः– पटवारी हल्का भूगोर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट (आकाश सैनी पुत्र लक्ष्मीनारायण)– ग्राम भूगोर में पहुँचकर सरपंच साहब ग्राम पंचायत भूगोर व ग्राम वासियान से जानकारी की गई ग्रामवासियो ने जानकारी दी कि चिंपू सैनी का ही घरेलू नाम आकाश है। इसका आधार कार्ड मे नाम चिंपू सैनी ही है। यह रुपबास, भूगोर में निवास करता है। मूर्ति के बारे में जानकारी करने पर बताया गया कि मूर्ति का प्रतापबास अलवर मे राजेश के साथ विवाह हो जाने पर वह शहर अलवर ने निवास कर रही है। मूर्ति का घरेलू मूर्ति ही था इसी का बाद का नाम पूजा देवी होना बताया गया व विस्तृत जानकारी प्रतापबास अलवर से लिया जाना संभव है। रुपा सैनी के बारे में जानकारी करने पर बताया गया कि रुपा सैनी का विवाह स्कीम न० 6 अलवर मे मनोहर के साथ होना बताया रुपा सैनी का घरेलू नाम रुपा सैनी ही था इसी का बाद का नाम रजनी बताते है।

पटवारी हल्का खुदनपुरी से प्राप्त रिपोर्ट निम्न प्रकार है (मूर्ति, रूपा पुत्री लक्ष्मीनारायण)–मौके पर उपस्थितो द्वारा बताया गया कि पूजा पत्नि राजेश नि० दाउदपुर का घरेलू नाम पूछना चाहा गया तो मौके पर उपस्थितो ने ससुराल पक्ष दाउदपुर प्रतापबास अलवर मे उक्त नाम पूजा ही बताया गया है। उक्त के पीहर पक्ष का नाम बताने में असमर्थता जाहिर की है, का कथन किया गया है।

पटवारी हल्का अलवर न02 से प्राप्त रिपोर्ट इस प्रकार हैः– रजनी पुत्री रामस्वरुप निवासी गोपाल टाकिज अलवर की मौके पर पूछताछ करने पर रजनी पत्नि मनोहर के किसी अन्य नाम की जानकारी नही होना बताया गया। उक्त के संबंध में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

प्रशासक (सरपंच) ग्राम पंचायत भूगोर ने प्रमाणित किया है कि पूजा पुत्री श्री रामस्वरूप सैनी, रजनी पुत्री श्री रामस्वरूप सैनी, चिम्पू सैनी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायध सैनी इनका असली नाम डॉक्यूमेंट में है जो आधार में है वो सही नाम है। जो पूजा है उसका घरेलू नाम मूर्ति था, रजनी है उसका घरेलू नाम रूपा सैनी था। चिम्पू सैनी का घरेलू नाम आकाश था। मैं (सरपंच) इनको भली–भांति जानता हूं, ये भूगोर रूपबास के निवासी है तथा इनके बारे में उक्त जानकारी सत्य है।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। चूंकि अपीलार्थीगण का कथन है कि उन्हें विवादित इंतकाल की जानकारी विलम्ब से हुई और वे प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, अतः न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की पत्रावली में विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। पत्रावली में ग्राम दलालपुरा स्थित खाता सं. 21 खसरा न. 756, 758 कुल रकबा 1.92 है० एवं खाता सं. 20 खसरा न. 577, 757 कुल रकबा 0.18 है० की खातेदार बुजुर्ग महिला श्रीमती कमलेश देवी पत्नी स्व. रामस्वरूप का देहान्त दिनांक 18.11.2020 को हो चुका है। उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण का भी देहान्त हो चुका है। मृतका कमलेश देवी की विरासत का इंतकाल सं. 624 दिनांक 26.05.2023 को तस्दीक किया गया। अपीलार्थीगण का कथन है कि उक्त इंतकाल में त्रुटिवश उनके वास्तविक नामों के स्थान पर उनके घरेलू नाम (उपनाम) दर्ज कर दिए गए हैं। अपीलार्थी सं. 1 'चिंपू सैनी' को 'आकाश', अपीलार्थी सं. 2 'पूजा देवी' को 'मूर्ति' तथा अपीलार्थी सं. 3 'रजनी' को 'रूपा' के नाम से अंकित किया गया है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण है।

प्रकरण से संबंधित न्यायालय द्वारा तहसीलदार रैणी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तलब की गई। पत्रावली पर तहसीलदार रैणी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, जो कि पटवारी हल्का भूगोर, पटवारी हल्का खुदनपुरी एवं पटवारी हल्का अलवर नं–2 की रिपोर्ट पर आधारित है, का अवलोकन किया गया। पटवारी भूगोर की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामवासियों व सरपंच ने तस्दीक की है कि 'चिंपू सैनी' का ही घरेलू नाम 'आकाश' है। 'मूर्ति' का विवाह पश्चात नाम 'पूजा देवी' है तथा 'रूपा' का विवाह पश्चात नाम 'रजनी' है। प्रशासक (सरपंच) ग्राम पंचायत भूगोर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम (चिंपू, पूजा, रजनी) ही सही और आधिकारिक नाम हैं, जबकि इंतकाल में दर्ज नाम (आकाश, मूर्ति, रूपा) मात्र घरेलू नाम हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थीगण के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों का मिलान जांच रिपोर्ट से करने पर यह स्पष्ट होता है कि इंतकाल सं. 624 में दर्ज व्यक्ति और अपीलार्थीगण एक ही हैं, केवल नामों की भिन्नता (उपनाम/घरेलू नाम के कारण) है। राजस्व रिकॉर्ड में उपनाम या घरेलू नाम के स्थान पर विधिक दस्तावेजों में दर्ज नाम ही अंकित होना न्यायसंगत है। अतः साक्ष्यों व जांच रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाणित है कि इंतकाल संख्या 624 में नाम दर्ज करते समय लिपिकीय/तथ्यात्मक त्रुटि हुई है, जिसे

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

सुधारा जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय/तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2023 इंतकाल सं. 624, ग्राम दलालपुरा को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है। तहसीलदार रैणी को निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम दलालपुरा के इंतकाल संख्या 624 में वारिसान के नामों में निम्नानुसार संशोधन कर संशोधित इंतकाल तस्दीक करें:– "आकाश" के स्थान पर "चिंपू सैनी" पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण सैनी, "मूर्ति" के स्थान पर "पूजा देवी" पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप व "रूपा" के स्थान पर "रजनी" पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

राजस्थान
सरकार